प्रेस नोट **26/05/2023**

मऊ पुलिस की प्रभावी पैरवी से पाक्सो एक्ट के आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 25000 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री अविनाश पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 26.05.2023 को वाद सं0–एसएसटी 422/2021 मु0अ0सं0 407/21 धारा 363,366,376, भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त कोमल कुमार पुत्र रविकान्त उर्फ रविनाथ निवासी सोनाडीह थाना घोसी जनपद मऊ को मा0 न्यायाधीश श्री राजवीर सिंह, विशेष न्यायालय पाक्सो प्रथम मऊ द्वारा 12 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रामचन्द्र चौहान तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी जयंत तिवारी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ का सराहनीय योगदान रहा।

दिनांक 23.05.2023 को थाना दोहरीघाट क्षेत्रान्तर्गत उसरी खुर्द में युवक की हुई हत्या में संलिप्त सभी अभियुक्तगण गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2023 को थाना दोहरीघाट पुलिस तथा स्वाट टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, ग्राम उसरी खुर्द चट्टी पर युवक की हुई हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 101/23 धारा 147,148,149,302,307,504,506,201,120बी भादवि0 में वांछित मुख्य आरोपी छोटू उर्फ रामकेश पुत्र रामनयन राम व सह अभियुक्त सोमनाथ उर्फ सुग्गन यादव पुत्र श्यामदुलारे यादव निवासीगण उसरी खुर्द थाना दोहरीघाट को अमिला स्टेशन के पास से तथा अंकित पुत्र अरविन्द निवासी भटमिला थाना घोसी को भटमिला से तथा अभियुक्तगण अभिनव यादव पुत्र नन्दकिशोर यादव निवासी रुद्रपुर थाना दोहरीघाट तथा प्रियांशु पुत्र अमरजीत निवासी उसरी खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को अमिला मोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त छोटू उर्फ रामकेश पुत्र रामनयन राम व अंकित पुत्र अरविन्द के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद फायर शुदा खोखा कारतूस तथा अभियुक्त सोमनाथ उर्फ सुग्गन यादव पुत्र श्यामदुलारे यादव के निशानदेही पर एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

अभियुक्तगण–

1. छोटू उर्फ रामकेश पुत्र रामनयन राम निवासी उसरी खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. सोमनाथ उर्फ सुग्गन यादव पुत्र श्यामदेव निवासी उसरी खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. अंकित पुत्र अरविन्द निवासी भटमिला थाना घोसी जनपद मऊ।
4. अभिनव यादव पुत्र नन्दकिशोर यादव निवासी रुद्रपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
5. प्रियांशु पुत्र अमरजीत निवासी उसरी खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद फायर शुदा खोखा कारतूस (छोटू उर्फ रामकेश की निशानदेही पर)।
2. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस (सोमनाथ उर्फ सुग्गन यादव के निशानदेही पर)।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

राज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना दोहरीघाट, उ0नि0 केशव राम यादव, उ0नि0 केशव राम यादव, उ0नि0 केशव राम यादव, का0 रविकिरण सिंह **थाना दोहरीघाट।**

उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा प्रभारी स्वाट टीम/थानाध्यक्ष कोपागंज, का0 विशाल सिंह, हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह, का0 अनिरुद्ध सिंह, का0 रोहित सिंह, का0 संजय सिंह, का0 अविनाश धर दूबे, का0 राजेश यादव **स्वाट टीम मऊ।**
हे0का0 विवेक सिंह **प्रभारी सर्विलांस टीम मऊ।**

जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय द्वारा विभिन्न अपराधों में संलिप्त निम्नलिखित **07 शातिर अभ्यासतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी है–**

1. इब्राहिम पुत्र एजाज अहमद निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला। (एच0एस0 न0 177ए)
2. प्रमोद गोड़ पुत्र गुलाब गोड़ निवासी नकिहवा (धर्मपुर विशुनपुर) थाना मधुबन। (एच0एस0 न0 111ए)
3. अंजनी मिश्रा पुत्र नन्द कुमार मिश्र निवासी काठतरांव थाना रामपुर। (एच0एस0 न0 6ए)
4. आरिफ पुत्र मुमताज निवासी बडागांव थाना घोसी। (एच0एस0 न0 216ए)
5. शालु उर्फ अनवार पुत्र एकलाख निवासी बड़ागांव थाना घोसी। (एच0एस0 न0 215ए)
6. एकलाख अहमद पुत्र अब्दुल अजीज निवासी बडागांव थाना घोसी। (एच0एस0 न0 218ए)
7. विपिन त्रिपाठी उर्फ रवि प्रकाश त्रिपाठी पुत्र स्व0 रामविजय त्रिपाठी निवासी भदसामानोपुर थाना कोपागंज। (एच0एस0 न0 86ए)
8. अविनाश राय उर्फ डिम्पू पुत्र राधेश्याम राय निवासी फरसरा बुजुर्ग थाना दोहरीघाट। (एच0एस0 न0 87ए)

06 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 26.05.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा भातकोल से मु0अ0सं0 181/23 धारा 323,307,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण रमन चौहान पुत्र मूलचन्द्र चौहान, रामभवन चौहान पुत्र रमन चौहान, गोलू चौहान पुत्र रमन चौहान, मूलचन्द्र चौहान पुत्र स्व0 महीप चौहान निवासीगण भातकोल थाना मुहम्मदाबाद तथा थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा ओन्हाइच से मु0अ0सं0 175/23 धारा 304 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण रामकरन पाल, रामलक्षन पाल पुत्रगण रामलगन पाल निवासीगण ओन्हाइच थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 26.05.2023 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बडहल पुलिया के पास से मनोज सरोज पुत्र रामविजय सरोज निवासी सरौदा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 78/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।